छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्,रायपुर
कार्यालय - शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी भवन, प्रथम तल, जी.ई. रोड, रायपुर
492010(छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स 0771 - 2263165
वेबसाईट - www.cgaupcb.in, ई-मेल - registrar@cgaupcb.in, cgaupcbregistrar@gmail.com

क्रमांक–03 / निर्वाचन / 2026 / 1128 रायपुर, दिनांक – 20/8/2026

–:: सूचना ::–

परिषद् के तृतीय परिषद् गठन हेतु संभागीय प्रतिनिधि निर्वाचन के लिए चुनाव लड़ रहे कतिपय उम्मीदवारों द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप्स में मतपत्र में अंकित क्रमांक के आधार पर मतदान की गोपनीयता भंग होने के संबंध में दुष्प्रचार किया जा रहा है। उक्त के संबंध में सर्वसंबंधित अवगत होवें कि दिनांक 07/08/2026 को परिषद् कार्यालय में संपन्न सभी संभागीय प्रतिनिधि उम्मीदवारों की बैठक में निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार द्वारा यह अवगत कराया गया था कि मतगणना के पूर्व प्राप्त एवं वैध सभी मतपत्रों में अंकित क्रमांक को काटकर पृथक किया जावेगा। इस प्रक्रिया के उपरांत ही मतपत्रों की जांच व गणना की जावेगी। यानि यह स्पष्ट है कि मतगणना के दौरान किसी भी मतपत्र में क्रमांक अंकित एवं प्रदर्शित नहीं होगा।

2/ यह भी अवगत होवें कि केवल मतपत्र प्रतिपर्ण में मतदाता का क्रमांक एवं हस्ताक्षर अंकित है। मतदान निर्देश मे यह स्पष्ट किया गया है कि **मतपत्र प्रतिपर्ण** को लिफाफा "B" में रखें तथा **मतपत्र** को लिफाफा "C" में रखें। ज्ञात हो कि मतगणना के पूर्व (25/09/2026) को मतपत्र लिफाफा "B" खोला जावेगा तथा जिस लिफाफा "B" में मतपत्र प्रतिपर्ण होगा केवल उन्ही मतदाताओं के मतपत्र लिफाफा "C" को मतगणना दिनांक (30/09/2026) के लिए सुरक्षित रखा जावेगा। यह भी अवगत होवें कि मतपत्र लिफाफा "B" खोलने कि प्रक्रिया के दौरान केवल निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार एवं चुनाव सहायक अधिकारी गण ही उपस्थित रहेंगे।

3/ छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 के धारा 13 (3) के अंतर्गत मतगणना के दौरान ही उम्मीदवार अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो सकेंगे। नियम के प्रावधानानुसार उम्मीदवार अथवा उसके प्रतिनिधि को मतपत्र का अवलोकन कराया जा सकेगा।

उक्तानुसार यह स्पष्ट है कि मतगणना के दौरान किसी भी उम्मीदवार अथवा प्रतिनिधि को यह ज्ञात नही हो पाएगा कि किस मतदाता ने किस उम्मीदवार को अपना मत अभिलिखित किया है। तत्संबंध में परिषद् द्वारा पत्र क्रमांक 01/निर्वाचन/2026/1059 दिनांक 08/08/2026 को सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के द्वारा मतदाताओं को अवगत कराया गया है कि मतगणना के दौरान मतपत्र की गोपनीयता पूर्णतः सुरक्षित है और वे किसी भी भ्रामक प्रचार, भय अथवा प्रलोभन में न आवें।

क्रमशः..02...

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त तथ्यों एवं सूचनाओं के बावजूद कतिपय उम्मीदवारों द्वारा मतपत्र एवं मतगणना की गोपनीयता एवं निष्पक्षता पर भ्रामक प्रचार करना छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (अनुकूलन आदेश 2001), छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (आचार एवं पंजीयन) विनियम 2023 के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत एवं उल्लंघनकारी है। परिषद् द्वारा मतदान एवं मतगणना की गोपनीयता एवं निष्पक्षता के संबंध में दुष्प्रचार करने वाले उम्मीदवारों/चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(डॉ. संजय शुक्ला)
निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा
पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर

***

Scanned with OKEN Scanner